



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1190]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2010/ज्येष्ठ 21, 1932

No. 1190]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2010/JYAISTHA 21, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2010

(आयकर)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2010

(INCOME-TAX)

का.आ. 1414(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (10) के उप-खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के दिनांक 20 जनवरी, 1999 की अधिसूचना सं. का.आ. 287 के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा कर्मचारियों को संदेय किसी उपदान की अधिकतम राशि को ध्यान में रखते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ उन कर्मचारियों के संबंध में 10 लाख रुपये की सीमा विनिर्दिष्ट करती है जो 24 मई, 2010 को अथवा उसके पश्चात् सेवा निवृत्त हो गए हों अथवा ऐसी सेवा-निवृत्ति से पूर्व अक्षम बन गए हों अथवा जिनकी मृत्यु हो गई हो अथवा जिनके रोजगार को उक्त तिथि अथवा उसके पश्चात् समाप्त कर दिया गया हो।

[अधिसूचना सं. 43/2010/फा. सं. 200/33/2009-आ.क.नि.-I]

पदम सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना को अंतिम रूप से अधिसूचना सं. का.आ. 287 दिनांक 20-1-1999 द्वारा संशोधित किया गया था।

S.O. 1414(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (10) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Ministry of Finance, Department of Revenue, notification No. S.O. 287 dated the 20th January, 1999 the Central Government having regard to the maximum amount of any gratuity payable to employees, hereby specifies ten lakh rupees as the limit for the purpose of the said sub-clause in relation to the employees who retire or become incapacitated prior to such retirement or die on or after the 24th day of May, 2010 or whose employment is terminated on or after the said date.

[Notification No.43/2010/F.No. 200/33/2009-ITA.-I]

PADAM SINGH, Under Secy.

Note : The Principal Notification was last amended by Notification No. S.O. 287 dated 20-1-1999.